

07.9.22 पत्रावली पेशा वारी की ओर से कोई उप
नहीं। वारी व वकील वारी को खुले न्यायालय
में जो-जो से आवारे लगाते या भी खोज
नहीं। अतः यह पत्रावली अहम खपरी एवं
अहम पैरकी में इसी स्तर पर खरिज की
जाती है पत्रावली कि सलसुला देना हरिकर खपरी
है।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना